

# फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) एवं उपखण्ड अधिकारी मावली, उदयपुर

प्रार्थी मोहन विपक्षी मेरुलाल  
 किस्म मुकदमा 53, 188 RTA पत्रावली संख्या 118/22 सन् \_\_\_\_\_

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	<p>4/3/25                      वकूलाय वादी / प्रतिवादी उप. <u>रामेश्वरी</u>                      के लिब्रे मौका चाहते हैं। अतः <u>एक</u>                      अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक <u>13/5/25</u>                      को पेश हो'</p> <p style="text-align: center;"><u>hm</u>                      SDO मावली</p> <p><u>13/05/25</u> पत्रावली पेश हुई। आ. ए. वादी गौ.                      34.1 पत्रावली का अवलोकन किया।                      ऑनलाइन हाल जमावादी का अवलोकन                      करने से जादीक आया की जमावादी                      हाल में दर्ज सनी सदखाते हाल वाप                      में पक्षकार नहीं है। आ. ए. वादी को आगाह                      किया जाना है कि हाल जमावादी अनुसार                      सनी सदखाते धरो को पक्षकार मुकदमा                      बनाने है कि वा. पत्र उरतुन करे।                      पत्रावली वास्तव में पेश करे वा. पत्र                      01210 पर दिनांक <u>15/05/25</u> को पेश                      है।</p> <p><u>15/05/25</u>                      वकूलाय वादी / प्रतिवादी उप. <u>प्र. पू. 0) 10 cpc</u>                      के लिब्रे मौका चाहते हैं। अतः <u>एक</u>                      अवसर दिया जाकर पत्रावली दि. <u>03/07/25</u>                      को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">(SDO) मावली</p> <p><u>07/07/25</u>                      पत्रावली पेश हुई। अभिवक्ता पक्षकारान उप.                      उपस्थित अभिवक्तागण द्वारा न्यायिक कार्य का                      बहिष्कार करने/शोक सभा कर न्यायिक कार्य                      स्थगित रखने/अधिकारी जी आज अवकाश/                      भ्रमण/मीटिंग में पधारे है। पत्रावली पूर्व आदेश                      के कम में दिनांक <u>19/8/25</u> को पेश हो।</p>	<p>हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई</p>



19/8/25

पत्तावली पेश हुई। अधिवक्ता वादीगण  
मध्य स्वयं वादीगण अनुपस्थित। अधिवक्ता  
वादीगण मध्य स्वयं वादीगण को बार-बार  
आवाजे दिलवाई गई। समय साँय 5:00 PM  
हो चुके हैं। स्वयं वादीगण एवं उनके अधिवक्ता  
अब तक अनुपस्थित हैं। अतः अधिवक्ता  
वादीगण मध्य स्वयं वादीगण अनुपस्थित रहने  
पर वादीगण का वाद अदम राजरी अदम  
पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्तावली  
फैसल सुमार लेकर नम्बर से कम हो।  
निर्णय चुले न्यायालय सुनाया गया।



सहायक कलेक्टर  
(S.D.O.) मावली